कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.) जालोर

क्रमांकः/एफ 10( )सहा./सा.नि.वि.रेस्टोरेशन/2023/318 दिनांकः-01/03/2024

-:: वित्तीय स्वीकृति आदेश ::-

मानसून अवधि वर्ष 2023 (संवत् 2080) में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (सड़कों एवं पुलियों) की तात्कालिक मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु प्राप्त प्रस्तावों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2023 में अनुमोदन उपरान्त आ.प्र.सहा. एवं ना.सु.वि. जयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1769 दिनांक 28.06.2023 से भिजवाये गये प्रस्तावों पर आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (सं.-29/2023-24) आदेश पत्रांकःएफ 8(09)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2023/2781-89 दिनांक 11.08.2023 की पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांकः एफ10( )/सहा./सा.नि.वि.रेस्टोरेशन/2023/2476 दिनांक 23.08.2023 से प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर ऑनलाईन बजट मांग की गई। विभाग द्वारा बजट आवंटन सं. 00002930 दिनांक 13.02.2023 की निरन्तरता में अधिशाषी अभियन्ता सा.निवि. खण्ड जालोर (पत्रांकः1643 दिनांक 05.09. 2023) एवं सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल (पत्रांकः2477 दिनांक 11.09.2023 एवं 2479 दिनांक 11.09.2023) से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार अंकित क्षतिग्रस्त सड़कों व उनके आगे अंकित राशि अनुसार निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। **इन स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी :-**

क्र. सं.	सा.नि.वि. खण्ड	तहसील क्षैत्र	कुल क्षतिग्रस्त **सडकों** की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)	कुल क्षतिग्रस्त **पुलियों** की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	जालोर	जालोर	**52**	**118.62**	**20**	**12.00**
2		आहोर	**-**	**-**	**30**	**18.00**
3		भाद्राजून	**18**	**63.06**	**19**	**11.40**
4		सायला	**73**	**187.04**	**13**	**7.80**
5	भीनमाल	बागोड़ा	**-**	**-**	**12**	**7.20**
6		भीनमाल	**-**	**-**	**04**	**2.40**
7		जसवंतपुरा	**56**	**115.16**	**07**	**4.20**
8		रानीवाड़ा	**-**	**-**	**12**	**7.20**
योग			**199**	**483.88**	**117**	**70.20**
स्वीकृत राशि शब्दों में			**अक्षरे चार करोड तिरासी लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र।**		**अक्षरे सत्तर लाख बीस हजार रुपये मात्र।**	

उक्त व्यय बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02-बाढ चक्रवात आदि 106-खराब सडको तथा पूलों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (08) (बाढ क्षैत्र में खराब सड़कों तथा पूलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना) (01) ख्सडकों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

वित्तीय स्वीकृति की प्रमुख शर्ते :-

1- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, ततसम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे तथा एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 के तहत भारत सरकार से जारी नॉर्म्स दिनांक 10.10.2022 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी।

2- वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

3- विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।

4- बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

5- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

6- कार्यकारी ऐजेन्सी प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं करें।

7- स्वीकृत तकमीने के अतिरिक्त (विचलन) का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8- उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत भुगतान हेतु भिजवाये जाने वाले बिलों के साथ यह रिपोर्ट अवश्य भिजवाई जावे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

9- मरम्मत कार्य के दौरान की अवधि में कार्य स्थल पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी (कनिष्ट अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता (सिविल/QC), अधीक्षण अभियन्ता) एवं

स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। इनके द्वारा मरम्मत अवधि में किये गए निरीक्षणों की विस्तृत एवं कमी पूर्ति अनुपालना सहित रिपोर्ट यथा समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

10- **वित्तीय स्वीकृति जारी तिथि से 30 दिवस में कार्य पूर्ण करवाया जाकर** कार्य की गुणवत्ता का उपखण्ड स्तरीय समिति से सत्यापन व बिलों को प्रमाणित करवाकर समस्त रिपोर्ट सहित बिल **दिनांक 30 मार्च 2024** तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद बिल प्राप्त होने की स्थिति में बजट समर्पित होने या विभाग द्वारा बजट प्रत्याहृत करने पर उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी का रहेगा।

11- क्षतिग्रस्त सडकों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दिशा निर्देश पत्रांक 1243–60 दिनांक 24.06.2023 एवं विभाग के पत्रांकः :एफ 8(09)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2023/2781–89 दिनांक 11.08.2023 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या–29/2023–24 में वर्णित शर्तो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

12- व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(पूजा पाण्डे)
जिला कलेक्टर
जालोर

क्रमांकः/सम/23/319-42
दिनांकः– 01/03/2024

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
2- माननीय सांसद, जालोर–सिरोही।
3- जिला प्रमुख जालोर।
4- जिला कलेक्टर सांचोर।
5- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
6- माननीय विधायक विधानसभा क्षैत्र जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचोर।
7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
8- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत, जालोर।
10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
11- उपखण्ड अधिकारी, ... (समस्त)
12- अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड जालोर/भीनमाल।
13- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड जालोर।
14- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
15- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।
16- .....

अति. जिला कलेक्टर
जालोर